

**YELLOW BULLETIN OF OPERATING SAFETY
EAST CENTRAL RAILWAY**

(JULY-2022 - ISSUE NO. - 49)


Contains Irregularities/Deficiencies detected during inspections

1.1	<p>The following deficiencies were noticed during brake van inspection in Sonpur Division:</p> <ul style="list-style-type: none">* The Guard was clueless about the socket (plug) of the RE set (PCP set).* The Guard was not aware about available equipments in Brake van.* Some essential equipment (PCP, Stretcher, ELB, first aid box) was not available in Brake van.* Working time table of SEE /SPJ was not available with the guard of train no.13206/13205 (HQR/DNR).* Due to this Guard was unaware about schedule stoppage at MNE and allowed to start train before time. Later with intervention of SM, train was stopped and started right time.
2.	All right signal was not exchanged by guard of train no. UP-BTPN in BCA-TGA section & UP-BCN in KGG-MNE section with guard of train no. 13206.
3.	When Advanced Starter Signal of line no-2 and 3, at Sakri station of Samastipur division is taken 'OFF' for Biraul/Jhanjharpur direction, taking 'OFF' of Advanced Starter for line no-1 towards Madhubani direction is not possible.
4.	On receiving the train from Biraul side on line no-3 and train from Madhubani side in line no-1 simultaneously at Sakri station of Samastipur division, Overlap track clears after 2 minutes of arrival of last train.
5.	Platforms at CKRD/SDG/MNO/NNNL/VPDA stations in SEE are high level, but FOB has not yet been provided before opening double line working. This is highly unsafe from passenger safety point of view.
6.	New Signals placed, but not yet commissioned between Bachwara – Teghra are without white Cross Bars.
7.	At Saharsa station of Samastipur division, diesel engine is used for placing and removing coaching trains in pit line. Top wiring work in pit line should be completed at the earliest so that the use of diesel engine in shunting work should be avoided and the need of frequent closure of Gate No. 31/SPL, having TVU more than eight lakhs, can be minimized.
8.	On 17/06/22, the panel room was set on fire during student agitation at Taregna station under Danapur division. SWR was not found available at the station till 1 month after the incident. Hence all sectional TIs and Divisional TIs should ensure to have the signed soft copy of SWR so that in case of any unusual occurrence, SWR can be made available at the concerned station immediately.
9.	On 12/07/2022, power block was allowed at Samastipur Junction station from 11:00 hrs to 11:50 hrs, but power block was not canceled at the scheduled time and it was cancelled at 13:05 Hrs. Meanwhile, Samastipur Junction given line clear to the adjacent station BGDS at 11:54 Hrs for the arrival of electric train 05275, in power block position and the train was started by BGDS which stopped at 12:08 hrs after passing the neutral section in the block section due to non-availability of OHE. This is a clear case of improper communication between control and SMs of both stations, besides non observance of safety precautions.
10.	Line block and clear register and load stable register are not being used for last two years at DDU station.

SPECIAL ATTENTION TO BE PAID:-

- (i) All Guards of the passenger carrying train shall keep with them a copy (in hard or electronic form) of the working time table along with corrigendum, if any, of the divisions in which they have to work.
- (ii) Ensure the availability of brake van equipments, First Aid Box when a Guard is working in a passenger carrying train.
- (iii) Update the load stable register and line block and clear register as per rules.
- (iv) When the train is going run through, the Guard should exchange the signal with the station staff and the loco pilot as per GR & SR no. 4.42. In addition, the exchange of signals between the Guards in Block Section should be done in accordance with SR 4.42. (4).
- (v) When the train is stabled at the station, the Guard and the Loco Pilot shall secure the train in accordance with SR 5.23 and sign in the stabling register.
- (vi) In-charge of all the Guard depots shall apprise all the Guards about the above things and ensure compliance.

Divisions are advised to ensure immediate circulation (in yellow colour printout) to all concerned for initiating action and compliance of the above irregularities/anomalies/Special Attention and report be sent to this office for onward action.


230822
(B. K. Das)
COM/G/ECR

No.ECR/OPTG.Safety/Yellow Bulletin/87/505, Dated-23.08.22

Distribution:- PCOM & PCSO for kind information please.

DRM- DHN, DNR, DDU, SEE & SPJ.

Sr.DOM -DHN, DNR, DDU, SEE & SPJ for information & necessary action please.

Principal, ZRTI MFP & BHULI for kind information please

परिचालन संरक्षा का येलो बुलेटिन

पूर्व मध्य रेल

(जुलाई- 2022 अंक संख्या -49)

मुख्यालय द्वारा किये गए निरीक्षणों के दौरान पाए गए कमियों/अनियमितताओं को समाहित करते हुए.

1.1	<p>सोनपुर मंडल में ब्रेकवान निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित कमियाँ पायी गयी :</p> <ul style="list-style-type: none"> • आर. ई. सेट (पीसीपी सेट) के सॉकेट (प्लग) को लगाने के बारे में गार्ड अनभिज्ञ था । • गार्ड को ब्रेकभान में उपलब्ध उपकरण के बारे में जानकारी नहीं थी । • ब्रेकभान में कुछ आवश्यक उपकरण(स्ट्रेचर,इ.एल.बी.,पीसीपी सेट , प्राथमिक उपचार पेटी) उपलब्ध नहीं था । • गाड़ी सं.13206/13205 के गार्ड(मुख्यालय/ दानापुर) के पास कार्यकारणी समय सारणी (सोनपुर एवं समस्तीपुर) उपलब्ध नहीं था । <p>* इस वजह से गार्ड को मानसी में निर्धारित ठहराव के बारे में पता नहीं था और उसने समय से पहले गाड़ी प्रस्थान करने की अनुमति दी थी जो बाद में स्टेशन मास्टर के हस्तक्षेप से गाड़ी को रोका गया और सही समय पर प्रस्थान की।</p>
2	<p>गाड़ी सं. UP BTPN के गार्ड द्वारा BCA-TGA सेक्शन में तथा गाड़ी सं. UP BCN के गार्ड द्वारा KGG- MNE सेक्शन में गाड़ी सं. 13206 के गार्ड के साथ आल राईट सिगनल का आदान प्रदान नहीं किया ।</p>
3	<p>समस्तीपुर मंडल के सकरी स्टेशन पर लाइन नं-2 एवं 3 से बिरौल/झंझारपुर दिशा के लिए एडवांस स्टार्टर ऑफ होने पर मधुबनी दिशा के लिए लाइन नं-1 से एडवांस स्टार्टर ऑफ नहीं होता है ।</p>
4	<p>समस्तीपुर मंडल के सकरी स्टेशन पर बिरौल साइड से लाइन नं-3 में गाड़ी रिसीव करने पर तथा मधुबनी साइड से लाइन नं- 1 में एकसाथ गाड़ी रिसीव करने पर, जो गाड़ी बाद में आती है उसके आने के 2 मिनट के बाद ही दोनों लाइन का ओवरलैप ट्रैक क्लियर होता है ।</p>
5	<p>सोनपुर मंडल में चकमकरन्द /सहदेई बुजुर्ग /महनार / नंदिनी लगुनिया/ विद्यापतिधाम स्टेशनों के सभी प्लेटफार्म हाई लेवल के हैं, परन्तु दोहरी लाइन चालू करने के पहले, एफ.ओ.बी. उपलब्ध नहीं कराया गया है। यह यात्री सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक असुरक्षित है</p>
6	<p>सोनपुर मंडल के बछवारा - तेघरा स्टेशन के बीच नया सिगनल लगाया गया है, जो अभी प्रयोग में नहीं है, जिसपर दो सफेद क्रॉस पट्टियाँ नहीं लगाया गया है ।</p>
7	<p>समस्तीपुर मंडल के सहरसा स्टेशन पर पिट लाइन में कोचिंग ट्रेनों को रखने एवं निकालने के लिए डीजल इंजन का उपयोग किया जाता है । पिट लाइन में टॉप वायरिंग के कार्य को शीघ्र पूरा किया जाय जिससे कि शंटिंग कार्य में डीजल इंजन का उपयोग बंद किया जा सके तथा गेट सं 31/SPL, जिसका TVU आठ लाख से अधिक है, को बार-बार बंद करने की आवश्यकता कम से कम हो ।</p>
8	<p>दिनांक 17.06.2022 को दानापुर मंडल के तरेगना स्टेशन पर छात्र आन्दोलनकारियों द्वारा पेनल स्म में आग लगा दिया गया था इस घटना के एक महीने बाद तक स्टेशन पर SWR उपलब्ध नहीं था । अतः सभी सेक्शनल टी.आई. एवं डिविजनल टी.आई. अपने पास SWR का हस्ताक्षरित सॉफ्ट कॉपी रखें ताकि असामान्य घटना होने की स्थिति में SWR सम्बंधित स्टेशन पर यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जा सके ।</p>

	दिनांक 12/07/ 2022 को समस्तीपुर जंक्शन स्टेशन पर 11:00 बजे से 11:50 बजे तक पावर ब्लॉक की अनुमति दिया गया था, परंतु पावर ब्लॉक नियत समय से निरस्त न होकर 13:05 बजे निरस्त हुआ। इसी बीच 11:54 बजे समस्तीपुर जंक्शन द्वारा इलेक्ट्रिक ट्रेन 05275 के आगमन हेतु बगल के भगवानपुर देसुआ स्टेशन को पावर ब्लॉक की स्थिति में ही लाइन क्लियर दे दिया गया और भगवानपुर देसुआ द्वारा उस गाड़ी को चला दिया गया जो ब्लॉक सेक्शन में न्यूट्रल सेक्शन पास करके आगे OHE नहीं मिलने के कारण 12:08 बजे खड़ी हो गई। इससे गाड़ी खंड नियंत्रक एवं दोनों स्टेशनों के स्टेशन मास्टर के बीच सही ढंग से सूचनाओं का आदान-प्रदान न होना तथा संरक्षा संबंधी सावधानियों का पालन न होना स्पष्ट होता है।
10	पं दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर लाइन ब्लाक एवं क्लियर रजिस्टर तथा लोड स्टेबल रजिस्टर का उपयोग पिछले दो वर्ष से नहीं किया जा रहा है।

विशेष रूप से ध्यान दें :

- यात्री वाहक गाड़ी के सभी गार्ड अपने साथ उन मंडलों के कार्यकारी समय सारणी शुद्धि पत्र सहित, यदि कोई हो, की एक प्रति (हार्ड अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में) को रखेंगे, जिन खंड में उन्हें कार्य करना है।
- सुनिश्चित करें कि जब कोई गार्ड यात्री वाहक गाड़ी में कार्य कर रहे हो तो प्राथमिक उपचार पेटी के साथ ब्रेकभान उपकरण उपलब्ध हो।
- लोड स्टेबल रजिस्टर तथा लाइन ब्लाक एवं क्लियर रजिस्टर को नियमानुसार अद्यतन रखें।
- जब गाड़ी रन शुरू जा रही हो तो गार्ड के द्वारा स्टेशन कर्मचारियों एवं लोको पायलट के साथ सामान्य एवं सहायक नियम 4.42 के पालन करते हुए सिगनलों का आदान प्रदान करना चाहिए। इसके अलावा स्टेशनों के मध्य गार्डों के बीच सिगनलों का आदान प्रदान सहायक नियम 4.42(4) के अनुसार करें।
- जब गाड़ी स्टेशन पर स्टेबल किया जाता है तो गार्ड एवं लोको पायलट, गाड़ी को सहायक नियम 5.23 के अनुसार सुरक्षित कर स्टेबलिंग रजिस्टर में हस्ताक्षर करें।
- सभी गार्ड डिपो के इंचार्ज उक्त बातों के बारे में सभी गार्ड को अवगत कराएंगे तथा आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

सभी मंडलों को सलाह दी जाती है कि सर्व संबंधितों को तत्काल पीले रंग में वितरित कर कार्यवाही सुनिश्चित करें और उपरोक्त अनियमितताओं/विसंगतियों/विशेष ध्यान के अनुपालन का रिपोर्ट इस कार्यालय को आगे की कार्यवाही हेतु सूचित करें।

(बी के दास)

मुख्य परिचालन प्रबंधक(सा) हाजीपुर

सं. ई.सी.आर. /परि.सं./ येलो बुलेटिन/ 87 /505, दिनांक 23.08.22

वितरण:

- 1 प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक एवं प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी को सादर सूचनार्थ।
2. मंडल रेल प्रबंधक य सोनपुर एवं समस्तीपुर, धनबाद, दानापुर, डी.डी. ू
3. वरि.मं.परि.प्रबंधक डी.यू डी, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।
4. प्राचार्य, क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर और भूली को सूचनार्थ।